छीतरसिंह / भूमिधारी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज GCMS-2023/863	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त हैं। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 10/7/25 को पेश हों।	
10/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 31/7/25 को पेश हों।	
11/8/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ''छत्रपालसिंह पुत्र सरदारसिंह'' दर्ज हैं जबकि वादी का नाम ''छत्रपालसिंह पुत्र सरदारसिंह'' की जगह ''छीतरसिंह पुत्र सरदारसिंह'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर ... में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:– **आदेश** तन ग्राम बल्लभदासपुरा पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 309, 319, 44, 45, 743 ता 746, 755 ता 758, 760, 776, 777, 779 कुल किता 16 कुल रकबा 7.30 है0 में वादी का गलत दर्ज नाम ''छत्रपालसिंह पुत्र सरदारसिंह'' के स्थान पर सही एवं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:07:52 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर .... वर्ष ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व ता... जो इस... तामील ...
	वास्तविक नाम "छीतरसिंह पुत्र सरदारसिंह" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:07:52 IST
Reason: SelfAttested